Chandrakanti ramawati devi arya Mahila P.G. College, Gorakhpur
Affiliated to : D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)
☎ : 7275618230 % 08318445157,
e-mail : crdpgcollege.gkp@gmail.com,
website : www.crdpgcollege.co.in

2.1.3

Seats filled against seats reserved for various categories as per applicable reservation policy during This years

Year	Program	Sanctioned seat	Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State Government rule					Number of students admitted from the reserved category					
			SC	ST	OBC	Gen	Others	SC	ST	OBC	Gen	Others	Total
2021	B.A	11x60 =660	138	13	177	138	194	28	Nil	163	65	0	256
2021	M.A	04x40=160	34	3	422	33	48	13	1	55	36	0	106
2021	B.Sc	60	8	1	11	8	12	01	0	07	02	0	10
2021	B.com	40	13	2	15	13	18	3	0	31	04	0	38
2021	B.Ed.	100+10(EWS) = 110	23	2	29	23	33	09	00	38	58	0	105
2021	M.Ed.	50+5(EWS) =55	11	01	15	11	17	02	0	7	12	0	21s

प्राचार्य
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज, गोरखपुर

Reservation Policy of UP State Government

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-2
संख्या-1191/सत्तर-2-2010-3(58)/79
लखनऊ:दिनांक: 11 जून, 2010

अधिसूचना
आदेश

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-23 सन् 2006) की धारा-4 के अधीन भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक संस्थाओं से भिन्न शैक्षणिक संस्थानों, जिसके अन्तर्गत निजी शैक्षणिक संस्थाएँ भी हैं, चाहें वे सहायता प्राप्त हों या गैर सहायता प्राप्त हों, में किसी शैक्षिक वर्ष में प्रवेश हेतु स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के सापेक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रवेश के स्तर पर निम्नलिखित प्रतिशत में, आरक्षण की व्यवस्था है:-

(क)	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए	: प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 21 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	: प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 2 प्रतिशत
(ग)	नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए	: प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटो का 27 प्रतिशत

रिट प्रिटीशन संख्या-2160(एम0/बी0)/2009 ऊषा एजूकेशनल इंस्टीट्यूट बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05-03-2009 को पारित आदेश में उक्त आरक्षण व्यवस्था को निजी शिक्षण संस्थानों में लागू किये जाने को स्थगित कर दिया गया। उक्त स्थगनादेश को अपास्त कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

2- अतः उक्त के वृष्टिगत उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-23 सन् 2006) की धारा-12 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय अल्पसंख्यक संस्थाओं तथा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त रिट याचिका में पारित अन्तिम आदेश तक निजी संस्थाओं को छोड़कर सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों/संस्थाओं एवं राजकीय महाविद्यालयों/संस्थाओं में संचालित व्यावसायिक

....2/-

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज, गोरखपुर

पाठ्यक्रमों में उपरोक्तानुसार आरक्षण तथा उक्त के अतिरिक्त निम्नांकित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मुख विवरणानुसार क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण लागू किये जाने का आदेश प्रदान करते हैं:-

(क) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए :	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 2 प्रतिशत
(ख) उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र-पुत्रियों को :	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत
(ग) शारीरिक रूप से निःशक्तजनों के लिए :	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 3 प्रतिशत
(घ) महिलाओं के लिए :	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत

उपर्युक्त प्रत्येक क्षैतिज आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य श्रेणियों में से उसी श्रेणी में रखा जायेगा, जिससे वह सम्बन्धित है। उदाहरण के लिए यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को प्रदत्त आरक्षण के अन्तर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का है तो उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सेवारत/भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों के लिए उपलब्ध आरक्षण के अन्तर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी यदि अन्य पिछड़े वर्ग का है तो उसे अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार किसी प्रवेश सीट पर महिला आरक्षण के अधीन चयनित महिला जिस श्रेणी की होगी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य) उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा, उदाहरण के लिए यदि महिला अभ्यर्थी अनुसूचित जाति की है तो उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। यदि कोई महिला किसी प्रवेश सीट पर मेरिट के आधार पर चयनित होती है तो उसकी गणना उस सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की जायेगी। प्रवेश सीटों पर चयन में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें यदि महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरी जा सकें तो वह सीटें उस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी।

3- यदि उक्त प्रस्तर-1 के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरी हुई रह जाती है तो उसी श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए दूसरा विशेष प्रवेश अभियान चलाया जायेगा।

4- यदि प्रस्तर-3 में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान में अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्ति को अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों से भरा जायेगा।

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी० जी० कालेज, गोरखपुर

यदि प्रस्तर-1 के अधीन आरक्षित सीटों में से कोई सीट उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण प्रस्तर-3 या 4 में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान के पश्चात् भी बिना भरे रह जाती है तो ऐसी रिक्ति की योग्यता के आधार पर किसी अन्य उपयुक्त अभ्यर्थी से भरा जायेगा।

6- यदि उक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में चयनित होता है और यदि वह सामान्य अभ्यर्थी के रूप में बना रहना चाहता है तो उसे उक्त प्रस्तर-1 के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।

7- उपर्युक्त आरक्षण व्यवस्था के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व किसी शैक्षणिक वर्ष में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आयोजक विश्वविद्यालय का होगा तथा आरक्षण की व्यवस्था हेतु उक्त प्रक्रिया का उल्लंघन अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

अनिल सन्त
सचिव।

संख्या-1191(1)/सत्तर-2-2010-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के प्रमुख सचिव।
(2) कुलपति/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(3) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर।
(5) सचिव, बार काउंसिल ऑफ इण्डिया, 21, राउज एवेन्यू, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-2
(6) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) समन्वयक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड0-2010, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
(8) निदेशक, सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(9) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
(10) अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(11) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
(12) गार्ड फाइल।

Type your text

आज्ञा से,

Type your text

(डॉ0 रामानन्द प्रसाद)

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज, गोरखपुर

DDU Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)
Admission Rules

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर

Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University Gorakhpur

* स्वीकृत विवरणिका
2019 के
प्रवेश-समिति द्वारा

2/7/10

परास्नातक प्रवेश परीक्षा – 2019
(शैक्षणिक सत्र 2019–20)

PG Entrance Examination - 2019
(Academic Session 2019-20)

परास्नातक प्रवेश निर्देशिका
Post-Graduate Admission Brochure

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज,गोरखपुर

(स) अनुदानित महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम:

एम0एस–सी0 (कृषि)

(द) अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम:

1. बी0पी0एड0
2. पोस्ट बेसिक बी0एस–सी0 (नर्सिंग)

प्रवेश परीक्षा–2019 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ

क्र0सं0	विवरण	तिथियाँ
1	ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का प्रारम्भ	
	एम0ए0, एम0एस–सी0, एम0काम0, एम0एस–सी0 (कृषि)	12.04.2019
	एम0एड0, बी0पी0एड0, एल–एल0एम0, एल–एल0बी0(त्रिवर्षीय), पोस्ट बेसिक बी0एस–सी0 (नर्सिंग), बी0जे0 (बैचलर ऑफ जर्नलिज्म)	17.04.2019
2	ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की अन्तिम तिथि	05.05.2019
3	आनलाइन परास्नातक, एम0एड0, बी0पी0एड0, एल–एल0एम0, एल–एल0बी0(त्रिवर्षीय), पोस्ट बेसिक बी0एस–सी0 (नर्सिंग), स्नातकोत्तर डिप्लोमा– आपदा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबन्धन प्रवेश परीक्षा के आयोजन की सम्भावित तिथियाँ	जून माह के तीसरे व चौथे सप्ताह में
4	आफलाइन बी0जे0 (बैचलर ऑफ जर्नलिज्म) की प्रवेश परीक्षा के आयोजन की सम्भावित तिथि	जून माह के तीसरे सप्ताह में

पंजीकरण शुल्क

क्र0सं0	वर्ग	शुल्क
1	सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 1000–00
2	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संवर्ग	रू0 750–00

महत्वपूर्ण नोट:

1. अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ddugu.ac.in से ही स्वयं फार्म भरें एवं प्रवेशपत्र डाउनलोड करें। दूसरों से फार्म भरवाने से बचें अन्यथा आपके साथ सायबर–धोखा हो सकता है।
2- फार्म भरने से पहले समस्त निर्देश ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन स्वयं ही भरें जिससे नाम, वर्तनी व अन्य कोई भी त्रुटि न हो। अभ्यर्थी द्वारा फार्म भरने में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। फार्म में किसी प्रकार का परिवर्तन बाद में स्वीकार नहीं होगा।
3. आनलाइन परास्नातक एवं अन्य प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा केवल गोरखपुर में ही निर्धारित केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी।
4. पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।
5. पूरित ऑनलाइन आवेदन पत्र, भुगतान रसीद व प्रवेशपत्र का प्रिंट (हार्ड कॉपी) अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें।
6. प्रवेश सम्बन्धी प्रामाणिक सूचनाओं के लिए उक्त वेबसाइट ही नियमित रूप से देखें।
7- किसी भी दशा में एक पाठ्यक्रम में पंजीकृत आवेदनपत्र दूसरे पाठ्यक्रम में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

कुलसचिव
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी0 जी0 कालेज,गोरखपुर

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सामान्य नियम

(बी0पी0एड0, एम0एड0 एवं पोस्ट बेसिक बी0एस–सी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रमों को छोड़कर)

1. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अलग–अलग आवेदन करना होगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या पूर्व निर्धारित है।(Table -1)

2. सभी संकायों में प्रतिदेय अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) निम्नलिखित ढंग से प्रदान किया जायेगा–
   (i) दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों से योग्यता प्रदायी उपाधि प्राप्त छात्रों के लिए 2 प्रतिशत।
   (ii) परास्नातक एवं विधि कक्षाओं में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय आवासीय खण्ड से योग्यता प्रदायी उपाधि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत।
   (iii) महिला अभ्यर्थियों के लिए 2 प्रतिशत।
   (iv) एन.सी.सी. में 'बी' या 'सी' सर्टिफिकेट प्राप्त छात्रों/छात्राओं के लिए 2 प्रतिशत।
   (v) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं कम से कम एक विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 2 प्रतिशत। प्रमाण पत्र कुलपति द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही अधिप्रतिनिधित्व देय होगा।
   (vi) रोवर्स एवं रेन्जर्स के लिए अधिप्रतिनिधित्व 2 प्रतिशत होगा।
   (vii) सेवा निवृत्त/मृतक शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अविवाहित पुत्र/पुत्री एवं पत्नी/पति को प्रवेश में अधिकतम अधिप्रतिनिधित्व सभी मानकों को मिलाकर 10 प्रतिशत अनुमन्य है।
   (viii) सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पाल्यों को परास्नातक कक्षाओं में 10 प्रतिशत का अधिभार अनुमन्य है जो कालेजों द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पाल्यों को भी तद्नुसार प्रदान किया जाएगा।

टिप्पणीःउपर्युक्त अधिप्रतिनिधित्व दो से अधिक एक साथ नहीं जुड़ेगा। किसी अभ्यर्थी को किन्हीं दो अधिप्रतिनिधित्व के आधार पर 7 प्रतिशत से अधिक अधिभार देय नहीं होगा। 2(vii) एवं 2(viii) के लिए यह अधिभार सीमा 10 प्रतिशत होगी।

3. राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक संकाय में कोटा है। इसके अन्तर्गत प्रवेश कुलपति जी की सहमति से होगा। अभ्यर्थी प्रार्थना पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर इसे इंगित करें। राष्ट्रीय या राज्य स्तर के खिलाड़ी जो खेलकूद के आधार पर प्रवेश लेने के इच्छुक हैं उस अभ्यर्थी का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न संकायों तथा विभागों में स्थान निर्धारित है जो निम्नवत् है–
   अ. कला : परास्नातक कला 05/ परास्नातक शिक्षाशास्त्र 01
   ब. विज्ञान : परास्नातक 01
   स. वाणिज्य : परास्नातक 01
   द. एलएल0बी0(त्रिवर्षीय) : 02

4. आरक्षण : नवीन शासनादेशों के अधीन होगा।
   (अ) ऊर्ध्व आरक्षण (केवल उत्तर प्रदेश के अधिवासियों (UP Domicile) के लिए :
   - अनुसूचित जाति — 21 प्रतिशत
   - अनुसूचित जनजाति — 02 प्रतिशत
   - अन्य पिछड़ा वर्ग (इसके लिए क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी अर्ह नहीं हैं) 27 प्रतिशत

   (ब) क्षैतिज आरक्षण :
   - दिव्यांग — 5 प्रतिशत
   - स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (पुत्र/पुत्री/पौत्र/प्रपौत्र/पौत्री/प्रपौत्री) 2 प्रतिशत
   - भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में शहीद, युद्ध में अपंग रक्षा कर्मी अथवा उनके पाल्य — 2 प्रतिशत
   - कारगिल युद्ध में शहीद रक्षा कर्मी के आश्रित — 1 प्रतिशत
   - कश्मीर विस्थापित — 5 प्रतिशत
   - कार्यरत सैनिक एवं उनके पाल्य (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री) — 1 प्रतिशत
   - एलएल0बी0(त्रिवर्षीय) में 20 प्रतिशत स्थान महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगा।

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज,गोरखपुर

(स) शासनादेश संख्या कार्मिक अनुभाग-2 संख्या-3/2019/4/12002/का-2/19 टी0 सी0-II दिनांक 14 मार्च, 2019 के अनुसार इकोनॉमिकली वीकर सेक्सन (EWS) के लिये आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के अधिवासियों (UP Domicile) के लिए अनुमन्य होगा।

आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को अपने जिले के सक्षम अधिकारी यथा जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट/तहसीलदार द्वारा निर्गत अद्यतन प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है, कि उनके जाति प्रमाण पत्र अद्यतन हों, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के नवीनतम राजाज्ञा के अन्तर्गत क्रीमीलेयर में न होने का स्पष्ट उल्लेख सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया हो।

नोट-- प्रवेष समिति ने एल-एल0बी0 (त्रिवर्षीय), एम0एड0 एवं बी0पी0एड0 पाठ्यक्रमों में इकोनोमिकली वीकर सेक्षन (EWS) को 10 प्रतिषत आरक्षण दिये जाने को सिद्धान्ततः स्वीकार किया तथा इसे लागू करने हेतु आवष्यक सीट वृद्धि के लिए सम्बन्धित निकायों यथा बार कौंसिल ऑफ इण्डिया एवं NCTE को तत्काल पत्र भेजने का निर्णय लिया। इकोनोमिकली वीकर सेक्षन (EWS) का आरक्षण सम्बन्धित निकायों से प्राप्त दिषा निर्देष के अधीन होगा।

अवगत कराना है कि शासन के आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन शासनादेशों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

(द) अधिसंख्य/सुपरन्यूमरी आरक्षणःकिसी भी पाल्य का प्रवेश बिना प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए नहीं होगा।

- एम.एस.सी.(बायोटेक्नोलॉजी/इलेक्ट्रानिक्स/माइक्रोबायोलाजी) में विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/ कर्मचारियों के पाल्यों (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री) को प्रवेश के लिए आरक्षण कुल सीटों के निर्धारित संख्या का 10 प्रतिशत है।
- विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्यों को परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण कुल निर्धारित सीट का 05 **प्रतिशत** है।
- एलएल0बी0(त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम में किसी भी पाल्य के लिए सुपरन्यूमरी आरक्षण देय नहीं है। यह आरक्षण निर्धारित सीटों की सीमा के अन्तर्गत ही होगा।

टिप्पणी:

नीचे दी गई तालिका में प्रमाणपत्र के सम्मुख अंकित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होगा जो जाँच हेतु प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

प्रमाण पत्र	सक्षम अधिकारी
जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग)	जिलाधिकारी/अपरजिलाधिकारी/तहसीलदार/मजिस्ट्रेट
दिव्यांग प्रमाण पत्र	मुख्य चिकित्साधिकारी
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र	जिलाधिकारी
प्रतिरक्षा प्रमाण पत्र (भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में शहीद, युद्ध में अपंग रक्षा कर्मी अथवा उनके पाल्य)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
कार्यरत सैनिक एवं उनके पाल्य	कमान अधिकारी (Commanding Officer)
विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्य	कुलसचिव
सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्य	प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालय एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
कश्मीर विस्थापित व कारगिल शहीद आदि	जिलाधिकारी
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज,गोरखपुर

<u>परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की सामान्य अर्हताएं</u>

1. एम.ए./ एम.एस–सी./एम.एस.सी. (कृषि)/एम.काम. में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्होंने योग्यता प्रदायी परीक्षा (स्नातक) वर्ष 2016 या उसके बाद उत्तीर्ण की हो. 2015 या इसके पूर्व योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए अभ्यर्थी आवेदन के लिए अर्ह नहीं होंगे। <u>सेवारत सैन्य कर्मियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के प्रवेश में यह नियम लागू नहीं होगा।</u>
2. वर्ष 2019 में स्नातक या उसके समकक्ष परीक्षा (क्रमशः एल–एल0बी0 तथा परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु) में सम्मिलित छात्र भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु प्रवेश के समय उन्हें योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र/अंक पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. वर्ष 2016, 2017, 2018 में योग्यता प्रदायी परीक्षा (स्नातक या उसके समकक्ष) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों में से नियमानुसार अधिकतम अंक का क्रमशः 10, 7 एवं 5 प्रतिशत अंक की कटौती की जायेगी।
4. जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2019 से पूर्व योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें उपर्युक्त अन्तराल के स्पष्टीकरण हेतु नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र/संतोषजनक साक्ष्य प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।
5. किसी भी पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों की संख्या से कम आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं होगी।
   - **एम0एस–सी(कृषि) हेतु अर्हता :** बी0एस–सी(कृषि) परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
   - **एम0काम0 हेतु अर्हता :** बी0कॉम0 परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी।

एम0ए0/एम0एस–सी0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हताएँ:

1. परास्नातक (कला एवं विज्ञान) प्रथम वर्ष के समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश स्नातक भाग तीन में लिये गये विषयों में से किसी एक विषय में होगा।
2. परास्नातक पाठ्यक्रम हेतु योग्यता प्रदायी परीक्षा(स्नातक) में 40 प्रतिशत प्राप्तांक की न्यूनतम अर्हता अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत प्राप्तांक की अनिवार्यता नहीं होगी।

- **एम0ए0 (अर्थशास्त्र) हेतु अर्हता :** वे छात्र अर्ह होंगे जिन्होंने बी0ए0/बी0एस–सी0 तृतीय वर्ष में गणित/ सांख्यिकी विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- **एम0ए0 (सतत् शिक्षा और प्रसार कार्य) हेतु अर्हता :** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0ए0/बी0एस–सी0/बी0काम0/बी0एस–सी0(कृषि)/ बी0एस–सी0(गृहविज्ञान) पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
- **एम0एस–सी(गृहविज्ञान) हेतु अर्हता :** बी0एस–सी0(गृहविज्ञान) परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
- **एम0एस–सी0(बायोटेक्नॉलोजी) हेतु अर्हता :** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0एस–सी0 परीक्षा विज्ञान वर्ग (गणित अथवा जीवविज्ञान संवर्ग) में सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 55 प्रतिषत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिषत अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- **एम0एस–सी0(माइक्रोबायलोजी) हेतु अर्हता :** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0एस–सी0 परीक्षा विज्ञान वर्ग (गणित अथवा जीवविज्ञान संवर्ग) में सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 55 प्रतिषत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिषत अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। स्नातक तृतीय वर्ष में वनस्पति विज्ञान/ प्राणिविज्ञान/ इन्डस्ट्रीयल माइक्रोबायलोजी/ माइक्रोबायलोजी/ बायोटेक्नालोजी में से कोई एक विषय होना अनिवार्य है।
- **एम0एस–सी0(इलेक्ट्रानिक्स) हेतु अर्हता :** स्नातक तृतीय वर्ष में भौतिकी अथवा इलेक्ट्रानिक्स में से कोई एक विषय होना अनिवार्य है।

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी0 जी0 कालेज,गोरखपुर

- एम0एस–सी0(पर्यावरण विज्ञान) हेतु अर्हता :

(अ). मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा बी0एस–सी0 (लाइफ साइंस) / बी0एस–सी0 (जीवविज्ञान) में उत्तीर्ण अभ्यर्थी अर्ह होंगे। स्नातक तृतीय वर्ष में वनस्पति विज्ञान / प्राणिविज्ञान / इंडस्ट्रीयल माइक्रोबायलोजी / माइक्रोबायलोजी / बायोटेक्नालोजी में से कोई एक विषय होना अनिवार्य है।

(ब). वे अभ्यर्थी जो (अ) में वर्णित अर्हता रखते है और निम्नलिखित को भी पूर्ण करते हों, अर्ह होंगे

i. अभ्यर्थी जो सरकार, संस्थानों या सार्वजनिक निकायों या निजी संस्थानों द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम प्रवेष के लिए प्रायोजित हैं।

ii. विदेषी छात्रों / अनिवासी भारतीयों को विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिए अनुमति होनी चाहिए।

आपदा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबन्धन पाठ्यक्रम परास्नातक डिप्लोमा (PGDDM) में प्रवेश हेतु अर्हता :

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0ए0 / बी0एस–सी0 / बी0काम0 / एल–एल0बी0 पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण या किसी विदेशी विश्वविद्यालय / संस्थान से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी जिन्होंने प्रतिरक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन / अर्थशास्त्र / भूगोल / मनोविज्ञान / अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध / विधि / विज्ञान संवर्ग का कोई भी एक विषय स्नातक स्तर पर लिया हो।

बी0जे0 (पत्रकारिता में स्नातक उपाधि) में प्रवेश हेतु अर्हता

(1) बी0जे0 (पत्रकारिता में स्नातक उपाधि) में प्रवेश हेतु वे अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्होंने 45 प्रतिशत या उससे अधिक अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या अन्य किसी संस्थान का समकक्ष उपाधि प्राप्त किया हो।

(2)योग्यता प्रदायी परीक्षा (स्नातक) के उपरान्त तीन वर्ष तक ही कोई अभ्यर्थी बी0जे0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।

(3) बी0जे0 एक पूर्णकालिक, नियमित पाठ्यक्रम है। इसमें प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को किसी अन्य डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की छूट नहीं होगी।

परास्नातक / अन्य प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम

परास्नातक / एल.एल.एम. प्रवेश परीक्षा में प्रश्न मूलतः दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्नातक / एल.एल.बी. पाठ्यक्रम से पूछे जायेंगे।

पाठ्यक्रम	प्रश्नपत्र	प्रश्नों की संख्या	अवधि
एम0ए0 / एम0एस–सी0 / एल–एल0एम0	स्नातक स्तर	100	02 घण्टे
एल–एल0एम0	एल–एल0बी0 पाठ्यक्रम	100	02 घण्टे
एल–एल0बी0	दिये गये पाठ्यक्रम के अनुसार	150	02:30 घण्टे
बी0जे0	दिये गये पाठ्यक्रम के अनुसार	150	03 घण्टे

स्नातक विधि (एल–एल0बी0)

1. सामान्य हिन्दी (13 प्रश्न) एवं सामान्य अंग्रेजी (12 प्रश्न) — 25 प्रश्न
2. सामान्य अध्ययन — 50 प्रश्न
3. विधि अभिरुचि — 75 प्रश्न

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी0 जी0 कालेज,गोरखपुर

पोस्ट बेसिक बी०एस–सी० (नर्सिंग)

कृपया विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध तत्संबंधी विवरणिका तथा इण्डियन नर्सिंग कौंसिल दिल्ली की वेबसाइट **www.indiannursingcouncil.org** पर भी अर्हता, प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम संबन्धी निर्देश अवश्य पढ़ लें।

पत्रकारिता (बी०जे०)– प्रवेश परीक्षा में प्रश्नपत्र के दो खण्ड होंगे–

1.	पहला खण्ड 100 अंक का	100 प्रश्न
2.	दूसरा खण्ड विवरणात्मक लघुउत्तरीय प्रश्नों का 100 अंक का	50 प्रश्न

बी०जे० (पत्रकारिता में स्नातक उपाधि) 03 घण्टे की ऑफलाइन की प्रवेश परीक्षा होगी।

पाठ्यक्रम:

भारत के प्रमुख समाचार पत्र, हिन्दी के पत्र एवं पत्रिकाएं, उनके सम्पादक, भारत तथा विश्व की प्रमुख संवाद समितियाँ, सम–सामयिक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न, संयुक्त एवं द्विधीय राजनीति, गुट निरपेक्ष आन्दोलन, सोवियत संघ का विघटन तथा अमेरिकी साम्राज्यवाद, सार्क संगठन, ईरान–ईराक, फिलीस्तीन तथा खाडी की समस्यायें, भारत और पड़ोसी देश, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंग्लादेश, नेपाल आदि। संयुक्त राष्ट्र और उसकी भूमिका। विश्व के प्रमुख खेल और उनके खिलाड़ी, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, इतिहास की प्रमुख घटनाएं तथा तिथियाँ, भारत तथा विश्व का भूगोल, प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनके आविष्कार। विश्व तथा भारत के प्रमुख राजनीतिक एवं सामाजिक व्यक्ति। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अलंकरण एवं पुरस्कार। भारत की नयी आर्थिक नीति, उदारीकरण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जनसंख्या विस्फोट तथा पर्यावरण आदि की समस्यायें भारत का अन्तरिक्ष कार्यक्रम, कश्मीर में आतंकवाद, सीमान्त एवं पूर्वोत्तर राज्यों की समस्यायें, स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रमुख नेता तथा उनका योगदान। पत्रकारिता एवं जनसंचार से सम्बन्धित सामान्य जानकारी।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. परास्नातक प्रवेश परीक्षा 02 घण्टे की होगी। जिसमें कुल 100 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेंगे जिसमे प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का व कुल अधिकतम अंक 200 होगा। एल–एल०बी० (त्रिवर्षीय) प्रवेश परीक्षा 02:30 घण्टे की होगी। जिसमे कुल 150 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेंगे जिसमे प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का व कुल अधिकतम अंक 300 होगा।**एम०एड० को छोड़कर किसी प्रवेश परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।**
2. **भाषा व परास्नातक विज्ञान को छोड़कर शेष सभी प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे।**
3. यह परीक्षा कम्प्यूटर आधारित ऑन लाइन टेस्ट पद्धति से आयोजित की जायेगी जिसमें अभ्यर्थी प्रश्न के साथ दिये गये 04 वैकल्पिक उत्तरों में से एक सही उत्तर का चयन करके उसे क्लिक करेगा।

उदाहरणार्थ–

1. शुद्ध वर्तनी का शब्द चुनिए–

A.सृखलाओं ○
B.श्रृंखलाओं ●
C.सिरखलाओं ○
D.संख्याओं ○
उत्तर –B

2. Select the word with the correct spelling

A. Psichology ○
B. Sychology ○
C. Psychology ●
D. Psychlogy ○
उत्तर –C

नोट– उपर्युक्त प्रश्न केवल उदाहरणार्थ है, एवं इनका वास्तविक प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज,गोरखपुर

प्रवेश पत्र (Admit card)

ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रवेश परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र (Admit card) अभ्यर्थी को स्वतः इण्टरनेट से डाउनलोड करना होगा।

सामान्य निर्देश, चयन प्रक्रिया व प्रवेश

1. न्यूनतम अर्हता वाले और प्रवेश परीक्षा में अर्ह पाए गये अभ्यर्थियों का अस्थाई प्रवेश उनके परीक्षा के प्राप्तांक तथा अनुमन्य अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) के आधार पर निर्मित सूचकांक, श्रेष्ठताक्रम एवं उपलब्ध सीटों के आधार पर आरक्षण नियमों के अनुसार होगा।
2. विश्वविद्यालय की वेबसाइट/सम्बन्धित संकाय या विभाग के सूचना पटट पर प्रवेश के लिए अस्थायी रूप से अर्ह प्रवेशार्थियों की सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद सम्बन्धित प्रवेशार्थी संकाय/विभाग की प्रवेश समिति के समक्ष अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ प्रस्तुत होंगे तथा सम्बन्धित अधिकारी प्रवेश सम्पन्न करेंगे। तत्पश्चात् निर्दिष्ट तिथि तक ही नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क जमा करके अपना प्रवेश लेंगे। शुल्क जमा करने के तीन दिन के अन्दर ही सम्बन्धित विभाग में पंजीकरण करा लेंगे। अन्यथा, उनका प्रवेश निरस्त कर अन्य को वरीयताक्रम में प्रवेश दे दिया जायगा।
3. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को स्वयं तत्संबन्धी प्रवेश समिति के समक्ष समस्त मूल प्रमाण पत्रो (अंक पत्र, **जाति प्रमाण पत्र, अधिप्रतिनिधित्व प्रमाण-पत्र/भूतपूर्व सैनिक/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित/कश्मीर विस्थापित/कारगिल शहीद, दिव्यांग प्रमाण-पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र/अन्तिम संस्था द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, इकोनोमिकली वीकर सेक्शन (EWS) प्रमाण पत्र आदि)** एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित एवं सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा। व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण छात्र विश्वविद्यालय के शिक्षक/राजपत्रित अधिकारी/सांसद/विधायक द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र जमा करेंगे। वांछित प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनका चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा।
4. जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2019 से पूर्व योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें उक्त अन्तराल के स्पष्टीकरण हेतु नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश समिति पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रदान करेगी।
5. यदि कोई प्रवेशार्थी प्रवेश समिति के समक्ष घोषित तिथि व समय पर अपने सभी मूल प्रमाण पत्र लेकर स्वयं उपस्थित नहीं होता, तो उसका प्रवेश नहीं लिया जायेगा।
6. **प्रवेश के समय प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा, एतदर्थ प्रवेश पत्र को सम्भाल कर रखें।**
7. चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक शुल्क जमा करके सम्बन्धित विभाग में अपना नाम पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय का नियमित छात्र उस तिथि से माना जायेगा जिस दिन उसने प्रवेश शुल्क जमा कर सम्बन्धित विभाग में पंजीकरण करा लिया हो।
8. किसी भी संवर्ग (Category), उपवर्ग (Sub-category) या भारांक (Weightage) का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रवेश के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार का परिवर्तन बाद में स्वीकार नहीं होगा।
9. आरक्षण के लाभ हेतु अभ्यर्थी को तीन वर्ष के भीतर का जाति प्रमाणपत्र व आय प्रमाणपत्र अवश्य लाना होगा।
10. विश्वविद्यालय की किसी कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हो जाने पर अथवा असफल रह जाने या रोक लिये जाने पर किसी छात्र को विश्वविद्यालय की उस कक्षा में दुबारा प्रवेश नहीं मिल सकेगा। परीक्षा में सम्मिलित/असफल छात्रों को भूतपूर्व छात्र होने की सुविधा उपलब्ध है।
11. विश्वविद्यालय की किसी भी कक्षा में किसी महाविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय से स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश नहीं होगा।
12. विश्वविद्यालय को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताये किसी भी आवेदक का प्रवेश अस्वीकृत/निरस्त कर दे और किसी भी समय प्रवेश सम्बन्धी नियमों में परिस्थितिनुकूल अपेक्षित संशोधन कर दे।
13. प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी समस्त प्रपत्र/अभिलेख प्रवेश परीक्षा समाप्त होने की तिथि से केवल छः माह तक ही सुरक्षित रखा जायेगा।
14. प्रवेश सम्बन्धी निर्देश विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों तथा नियमों के अनुसार है।
15. प्रवेश के सम्बन्ध में यदि कोई अन्यथा स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रवेश समिति के निर्णयानुसार तदनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज,गोरखपुर

Table-1

सत्र 2019–20 में स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/अन्य प्रवेश हेतु विषय तथा निर्धारित सीटें

पाठ्यक्रम	निर्धारित सीट	इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) आरक्षण प्रावधान को समाहित करते हुए कुल सीट
हिन्दी	120	150
अंग्रेजी	120	150
संस्कृत	120	150
उर्दू	60	74
समाजशास्त्र	120	150
राजनीतिशास्त्र	120	150
दर्शनशास्त्र	60	74
मनोविज्ञान	45	56
मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास	120	150
प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति	120	150
भूगोल	50	62
दृश्य कला	50	62
मंच कला	30	36
शिक्षाशास्त्र	50	62
सतत शिक्षा एवं प्रसार कार्य	30	36
रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन	50(एम०ए० + एम०एस–सी०)	62
सांख्यिकी	20(एम०ए० + एम०एस–सी०)	24
गणित	120(एम०ए० + एम०एस–सी०)	150
भौतिकी	50	62
रसायनशास्त्र	60	74
वनस्पतिशास्त्र	50	62
प्राणिविज्ञान	50	62
पर्यावरण विज्ञान	20(16+4 Paid Seat)	20+4 Paid Seat
इलेक्ट्रानिक्स	15	18
माइक्रोबायोलाजी	20	24
बायोटेक्नालाजी	20	24
गृहविज्ञान	14	16
आपदा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	50	62
एम०काम०	120	150
एम०ए० अर्थशास्त्र	120	150
एल०एल०एम०	30	36
एम०एस०सी० (कृषि)	15 x15 (प्रति विषय)केवल महाविद्यालयों में	18 x18
एल०एल०बी०*	300 बार कौंसिल के आदेश के अधीन	
एम०एड० (विश्वविद्यालय केन्द्र तथा महाविद्यालयों में)*	50 (50+50 महाविद्यालयों में) NCTEके अधीन	
बी०पी०एड० (केवल महाविद्यालयों में)	200 NCTEके अधीन	
पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग	20 (केवल गोरखनाथ कालेज ऑफ नर्सिंग में)	22

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी० जी० कालेज, गोरखपुर

विधि संकाय में प्रवेश सम्बन्धी नियम

एल–एल0बी0 (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश अर्हताएं

एल–एल0बी0 (त्रिवर्षीय) प्रवेश परीक्षा में बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के नियमों के अनुसार एल–एल0बी0 में प्रवेश हेतु सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को योग्यता प्रदायी परीक्षा (स्नातक/परास्नातक) में क्रमशः न्यूनतम 45 व 42 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। **प्रवेश के समय बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया के उपलब्ध अद्यतन् मानक के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया व्यवहरित होगी।**

एल–एल0एम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हताएं

एल–एल0एम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु शैक्षिक योग्यता एल.एल.बी. में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अनिवार्य है, जबकि यह नियम अनुसूचित जाति/जनजाति पर लागू नहीं होगा। **वर्ष 2015 या इसके पूर्व एल–एल.बी. उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे। वर्ष 2016, 2017 व 2018 में योग्यता प्रदायी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के कुल प्राप्त अंकों में से नियमानुसार अधिकतम अंक का क्रमशः 10, 07 एवं 05 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।** एल–एल0बी0 अन्तिम सेमेस्टर के परीक्षा में सम्मिलित छात्र भी एल–एल0एम0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन प्रवेश के समय उन्हें प्रवेश हेतु शैक्षिक योग्यता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

1. एल–एल0बी0 (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम में प्रवेश पूर्णतया प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर होगा। स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए भी प्रवेश परीक्षा का नियम लागू होगा।
2. **योग्यता प्रदायी परीक्षा (स्नातक/परास्नातक) उत्तीर्ण करने के तीन वर्ष से अधिक अंतराल होने पर अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।**
3. प्रवेश में आरक्षण, वेटेज तथा प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत प्राप्त करने सम्बन्धी विश्वविद्यालय के सामान्य नियम लागू होंगे।
4. बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के पत्र संख्या BCI: D:2108 /2018(LE/Std. 13/14/15.8.2018 दिनांक 06.09.2018 के अनुसार एल–एल0बी0 (त्रिवर्षीय) में सत्र 2019–20 में प्रवेश हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रत्येक दशा में योग्यता प्रदायी परीक्षा (स्नातक/परास्नातक) में 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 42 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उपर्युक्त से अधिक अंक प्राप्त स्नातक/परास्नातक अभ्यर्थियों का प्रवेश, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के श्रेष्ठताक्रम के आधार पर किया जायेगा।
5. एल–एल0बी0 (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वर्ष 2016 या उसके बाद किसी विश्वविद्यालय के स्नातक/परास्नातक या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान की समकक्ष उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी अर्ह होंगे। वर्ष 2019 की परीक्षा में सम्मिलित छात्र भी आवेदन पत्र दे सकते हैं तथा प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, किन्तु प्रवेश के समय उन्हें योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र/अंकपत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. एल–एल0बी0 (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम एक नियमित एवं पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है। इसके साथ अभ्यर्थी किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी अन्य पाठ्यक्रम (डिप्लोमा/डिग्री/शोध) में अध्ययन नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जो किसी नौकरी में है या अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है विधि स्नातक प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।
7. एल–एल0बी0 (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम कक्षाओं में लेक्चर एवं ट्यूटोरियल प्रणाली से अध्यापन होता है। विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय के सामान्य नियमों के अनुसार व विधि संकाय के अध्यादेशों के अन्तर्गत सभी कक्षाओं में उपस्थिति का एक न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक होता है। विधि तृतीय वर्ष में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के सभी चार विषय में भी उपस्थिति के यही नियम लागू होते हैं। ट्यूटोरियल एवं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की परीक्षा में अनुपस्थित छात्रों की परीक्षा बाद में नहीं की जाती है।
8. अध्ययन–अध्यापन का माध्यम हिन्दी है, किन्तु एल–एल0बी0 द्वितीय वर्ष में लीगल लैंग्वेज अनिवार्य है, जिसके लिए अंग्रेजी भाषा का भी सामान्य ज्ञान आवश्यक है।
9. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक परीक्षा में अंक सुधार के लिए आवेदन किया है और वे प्रवेश परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्ह पाये गये है। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश समिति के समक्ष

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज, गोरखपुर

उपस्थित होने पर अपने अंक सुधार की अंकतालिका प्रस्तुत करनी होगी। यदि अंक सुधार का परिणाम तब तक नहीं आया है तो ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश नहीं पा सकेंगे।

10. वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में योग्यता प्रदायी परीक्षा (स्नातक/परास्नातक) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के एल–एल0बी0 (त्रिवर्षीय) प्रवेश परीक्षा के कुल प्राप्त अंकों में से नियमानुसार पूर्णांक का क्रमशः 10, 7 एवं 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
11. जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2019 से पूर्व योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें उक्त अन्तराल के स्पष्टीकरण हेतु नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश समिति पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रदान करेगी।
12. **प्रवेश परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 35 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 15 प्रतिशत अंक पाने पर ही श्रेष्ठताक्रम के अनुसार उनके प्रवेश पर विचार किया जायेगा।**
13. विधि स्नातक भाग एक में एक बार प्रविष्ट छात्र ने यदि अनुत्तीर्ण होने के कारण या परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण अपने अवसर का उपयोग नहीं किया है तो वह पुनः प्रवेश का अधिकारी नहीं होगा।
14. प्रत्येक अभ्यर्थी को अन्तिम शिक्षा प्राप्त संस्था से परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र प्रवेश के समय जमा करना होगा। **यह नियम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से उत्तीर्ण छात्रों पर भी लागू होगा।**
15. यदि प्रवेशार्थी ने किसी विश्वविद्यालय के पत्राचार के पाठ्यक्रम की स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसका प्रवेश तभी किया जायेगा जब वह प्रवेश समिति के समक्ष इस विश्वविद्यालय के कुलसचिव का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उस विश्वविद्यालय की पत्राचार डिग्री इस विश्वविद्यालय की नियमित पाठ्यक्रम डिग्री के समकक्ष है।
16. यदि कोई प्रवेशार्थी प्रवेश समिति के समक्ष घोषित तिथि व समय पर अपने सभी मूल प्रमाण पत्र लेकर स्वयं उपस्थित नहीं होता, तो उसका प्रवेश नहीं लिया जायेगा।
17. विश्वविद्यालय को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताये किसी भी आवेदक को प्रवेश न दे और किसी भी समय प्रवेश सम्बन्धी नियमों में परिस्थितिनुकूल अपेक्षित संशोधन कर दे।

XXXXXX

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज, गोरखपुर

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University Gorakhpur

संयुक्त स्नातक प्रवेश परीक्षा – 2019
(शैक्षणिक सत्र 2019–20 के लिए)

Joint UG Entrance Test - 2019
(For the Academic Session 2019-20)

Registrar
D.D.U. Gorakhpur University
Gorakhpur

स्नातक प्रवेश निर्देशिका

Under-Graduate Admission Brochure

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज, गोरखपुर

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University Gorakhpur

संयुक्त स्नातक प्रवेश परीक्षा – 2019
(शैक्षणिक सत्र 2019–20 के लिए)

Joint UG Entrance Test - 2019
(For the Academic Session 2019-20)

Registrar
D.D.U. Gorakhpur University
Gorakhpur

स्नातक प्रवेश निर्देशिका

Under-Graduate Admission Brochure

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज, गोरखपुर

अधिसूचना
संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2019–20

पत्रांकः DDUGU/Adm./.................... दिनांकः ....

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के आवासीय परिसर एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों (जिनकी योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष की है) में प्रवेश के लिए निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन एतद्द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। प्रवेश से सम्बन्धित समस्त पाठ्यक्रमों का विवरण, स्नातक प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम तथा अर्हताएं, प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित वेबसाईट **www.ddugu.ac.in** पर उपलब्ध है। प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश सम्बन्धी प्रामाणिक सूचनाओं के लिए उक्त वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें। स्नातक प्रवेश परीक्षा 2019 निम्न पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय परिसर, सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु संयुक्त रूप से आयोजित की जायेगी।

स्नातक पाठ्यक्रमः

1. बी0ए0
2. बी0एस–सी0 (गणित)
3. बी0एस–सी0 (जीव विज्ञान)
4. बी0एस–सी0 (गृहविज्ञान)
5. बी0काम0
6. बी0बी0ए0
7. बी0सी0ए0
8. बी0ए0एलएल0बी0(आनर्स) पाँच वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम
9. बी0 एस–सी0 (कृषि)
10. बी0एस–सी0 (एम.एल.टी.)
11. बी0एस–सी0 (फिजियोथिरेपी)
12. बी0एस–सी0 नर्सिंग(बेसिक)– केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए

नोटः–

1. सत्र 2019–20 में स्नातक पाठ्यक्रमों में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के आवासीय परिसर एवं सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में प्रवेश केवल संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2019 के माध्यम से ही होगा।
2. विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में उपलब्ध पाठ्यक्रमों/विषयों/सीटों की उपलब्धता के अन्य विवरण परिशिष्ट–A में वर्णित है।
3. क्रमांक 09–12 तक के पाठ्यक्रम केवल सम्बद्ध महाविद्यालयों में ही उपलब्ध हैं।
4. क्रमांक 06, 07, 08, 10, 11 एवं 12 में वर्णित पाठ्यक्रम स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित हैं।
5. **संयुक्त स्नातक प्रवेश परीक्षा–2019 के लिए** गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, बस्ती, लखनऊ एवं पटना नोडल केन्द्र होंगे। संख्या की उपलब्धता के आधार पर परीक्षा केन्द्र का निर्धारण किया जायेगा।

प्रवेश परीक्षा–2019 के लिए सम्भावित तिथियाँ

क्र0सं0	विवरण	तिथियाँ
1	ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के प्रारम्भ होने की तिथि	05.04.2019
2	ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की अन्तिम तिथि	26.04.2019

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी० जी० कालेज,गोरखपुर

विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा के आयोजन की सम्भावित तिथियाँ

क्र0सं0	पाठ्यक्रम	परीक्षा तिथि	समय
1.	बी0काम0	10.06.2019	प्रातः 09:00 से 11:30
2.	बी0ए0एलएल0बी0(आनर्स)पॉचबर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम	10.06.2019	अपराह्न 02:00 से 04:30
3.	बी0बी0ए0	11.06.2019	प्रातः 09:00 से 11:30
4.	बी0सी0ए0	11.06.2019	अपराह्न 02:00 से 04:30
5.	बी0एस–सी0 (गणित) /*बी0एस–सी0 (गृहविज्ञान), *बी0एस–सी0 (एम.एल.टी.), *बी0एस–सी0 (फिजियोथेरेपी)	12.06.2019	प्रातः 09:00 से 11:30
6.	बी0एस–सी0 (जीव विज्ञान)/ *बी0एस–सी0 (गृहविज्ञान), *बी0एस–सी0 (एम.एल.टी), *बी0एस–सी0 (फिजियोथेरेपी), बी0एस–सी0 नर्सिंग (बेसिक),	12.06.2019	अपराह्न 02:00 से 04:30
7.	बी0ए0	13.06.2019	प्रातः 09:00 से 11:30
8.	बी0 एस–सी0 (कृषि)	13.06.2019	अपराह्न 02:00 से 04:30

*इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (गणित) तथा विज्ञान वर्ग (जीवविज्ञान) में उत्तीर्ण छात्र/छात्राएं बी0एस–सी0 (एम.एल.टी.), बी0एस–सी0 (फिजियोथेरेपी) तथा बी0एस–सी (गृहविज्ञान) के प्रवेश हेतु क्रमशः बी0एस–सी0 (गणित) तथा बी0एस–सी0 (जीवविज्ञान) के लिये आयोजित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

पंजीकरण शुल्क

क्र0सं0	संवर्ग	शुल्क
1	सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 750–00
2	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संवर्ग	रू0 400–00

महत्वपूर्ण नोटः

1. अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ddugu.ac.in से स्वयं फार्म भरे एवं प्रवेशपत्र डाउनलोड करें। फार्म भरने से पहले समस्त निर्देश ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लें।
2. प्रत्येक पाठ्यक्रम (कोर्स) में प्रवेश हेतु अलग–अलग आवेदन करना होगा। एक पाठ्यक्रम में आवेदन को किसी अन्य पाठ्यक्रम में किसी भी दशा में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।
3. अभ्यर्थी द्वारा फार्म भरने में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। फार्म में किसी प्रकार का परिवर्तन बाद में स्वीकार नहीं होगा।
4. **सम्पूरित आवेदन पत्र की प्रति (हार्ड कॉपी) विश्वविद्यालय को नहीं भेजना है।**
5. प्रवेश परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र (Admit card) अभ्यर्थी को स्वतः इण्टरनेट से डाउनलोड करना होगा।
6. सम्पूरित ऑनलाइन आवेदन पत्र, भुगतान रसीद व प्रवेशपत्र का प्रिंट (हार्ड कॉपी) अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें।
7. पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश सम्बन्धी प्रामाणिक सूचनाओं के लिए वेबसाइट www.ddugu.ac.in ही नियमित रूप से देखते रहें।
9. पाठ्यक्रम सम्बन्धी विस्तृत सूचना के लिए परिशिष्ट 'A' देखें।

कुलसचिव
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

प्राचार्य
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज, गोरखपुर

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सामान्य नियम

1. प्रत्येक स्नातक पाठ्यक्रम के लिए अलग–अलग आवेदन करना होगा।

2. प्रत्येक पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय परिसर, सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में सीटों की संख्या पूर्व निर्धारित है **(विस्तृत विवरण के लिए परिशिष्ट 'A' देखें)। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेश शासनादेश संख्या–2651/सत्तर–2–2003–16।92।/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 के अनुरूप होंगे।**

3. **आरक्षण: नवीन शासनादेशों के अधीन होगा (केवल विश्वविद्यालय केन्द्र एवं सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों के लिए)**

(अ) ऊर्ध्व आरक्षण (केवल उत्तर प्रदेश के अधिवासियों (UP Domicile)) के लिए :

▪ अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत
▪ अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत
▪ अन्य पिछड़ा वर्ग (इसके लिए क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी अर्ह नहीं हैं)	27 प्रतिशत
▪ बी0ए0एलएल0बी0 (आनर्स) पॉचवर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम में महिला अभ्यर्थियों के लिए	20 प्रतिशत

(ब) क्षैतिज आरक्षण :

▪ शारीरिक रूप से दिव्यांग	5 प्रतिशत
▪ स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (पुत्र/पुत्री/पौत्र/प्रपौत्र/पौत्री/प्रपौत्री)	2 प्रतिशत
▪ भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में शहीद, युद्ध में अपंग रक्षा कर्मी अथवा उनके पाल्य	2 प्रतिशत
▪ कारगिल युद्ध में शहीद रक्षा कर्मी के आश्रित	1 प्रतिशत
▪ कश्मीर विस्थापित	5 प्रतिशत
▪ कार्यरत सैनिक एवं उनके पाल्य (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री)	1 प्रतिशत

(स) शासनादेष संख्या कार्मिक अनुभाग–2 संख्या–3/2019/4/12002/का–2/19 टी0 सी0–II दिनांक: 14 मार्च, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिये आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के अधिवासियों (*UP Domicile*) के लिए अनुमन्य होगा। बी0ए0एलएल0बी0 (आनर्स) पॉचवर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कमजोर वर्ग (EWS) का लाभ बार कौंसिल ऑफ इंडिया की अनुमति पर निर्भर होगा।

आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को अपने जिले के सक्षम अधिकारी यथा जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट/तहसीलदार द्वारा निर्गत अद्यतन प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है, कि उनके जाति प्रमाण पत्र अद्यतन हों, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के नवीनतम राजाज्ञा के अन्तर्गत क्रीमीलेयर में न होने का स्पष्ट उल्लेख सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया हो।

अग्रत्तर अवगत कराना है कि शासन के आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन शासनादेशों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

4. **संयुक्त प्रवेश परीक्षा में भारांक (वेटेज)–**

(क) (*i*) महिला अभ्यर्थियों के लिए 2 प्रतिशत।
(*ii*) एन.सी.सी. में **'बी'** सर्टिफिकेट प्राप्त छात्र/छात्राओं के लिए 2 प्रतिशत।
(*iii*) स्काउट/गाइड के छात्र/छात्राओं के लिए 2 प्रतिशत।

टिप्पणी: उपर्युक्त अधिप्रतिनिधित्व दो से अधिक एक साथ नहीं जुड़ेगा। किसी अभ्यर्थी को 4 प्रतिशत से अधिक अधिभार देय नहीं होगा।

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी0 जी0 कालेज, गोरखपुर

(ख) विश्वविद्यालय परिसर, सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों के सेवारत/सेवा निवृत्त/मृतक शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अविवाहित पुत्र/पुत्री एवं पत्नी/पति को प्रवेश में 10 प्रतिशत अधिभार अनुमन्य है।

टिप्पणी: इस अधिभार का लाभ केवल विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु ही दिया जायेगा। (क) और (ख) को मिलाकर अधिभार की अधिकमत सीमा 10 प्रतिशत होगी।

महत्वपूर्ण :
नीचे दी गई तालिका में प्रमाणपत्र के सम्मुख अंकित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होगा जो जाँच हेतु प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

प्रमाण पत्र	सक्षम अधिकारी
जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचितजाति/जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग)	जिलाधिकारी/अपरजिलाधिकारी/तहसीलदार/मजिस्ट्रेट
दिव्यांग प्रमाण पत्र	मुख्य चिकित्साधिकारी
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र	जिलाधिकारी
प्रतिरक्षा प्रमाण पत्र (भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में शहीद, युद्ध में अपंग रक्षा कर्मी अथवा उनके पाल्य)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
कार्यरत सैनिक एवं उनके पाल्य	कमान अधिकारी (Commanding Officer)
विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्य	कुलसचिव
सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्य	प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालय एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
कश्मीर विस्थापित व कारगिल शहीद आदि	जिलाधिकारी
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

5. विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्यों (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री) के लिए विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर की कक्षाओं में संकायवार प्रवेश के लिए **अधिसंख्य आरक्षण कुल निर्धारित संख्या का 10 प्रतिशत** है। इस श्रेणी में आवेदकों को कुलसचिव द्वारा निर्गत पाल्य प्रमाणपत्र निर्धारित तिथियों के अन्दर समन्वयक कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। तदोपरांत इनके आवेदन पत्रों की पूर्ति आनलाइन समन्वयक कार्यालय के द्वारा कराई जायेगी। यह प्रवेश आरक्षण नियमों के तहत, उपलब्ध स्थान एवं विषय संयुक्तियाँ तथा प्रवेश परीक्षा के अंकों के सापेक्ष होगा। **विश्वविद्यालय में किसी भी पाल्य का प्रवेश बिना प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए नहीं होगा। यह सुविधा मात्र विश्वविद्यालय परिसर हेतु अनुमन्य है।**

6. विश्वविद्यालय परिसर के स्नातक पाठ्यक्रमों में राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक कक्षा में कोटा उपलब्ध है। इसके अन्तर्गत प्रवेश कुलपति जी द्वारा नामित सक्षम समिति के माध्यम से निर्धारित मापदण्डों से होगा। **अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर इसे अनिवार्य रूप से इंगित करना होगा।** ऐसे विकल्प वाले अभ्यर्थी का प्रवेश यदि मेरिट के आधार पर नहीं होता है तो अभ्यर्थी को खेलकूद कोटा के अन्तर्गत प्रवेश की सूचना उचित माध्यम द्वारा निर्गत की जायेगी। आवेदक राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय खेल प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होंगे। खेलकूद कोटा के अन्तर्गत संकायवार आवंटित सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश सम्भव होगा। **यह सुविधा मात्र विश्वविद्यालय परिसर हेतु अनुमन्य है।**
राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न संकायों में संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु स्थान निम्नवत् निर्धारित हैं –

कला	:	10
विज्ञान	:	03
वाणिज्य	:	03

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी० जी० कालेज, गोरखपुर

अर्हता

1. स्नातक में प्रवेश हेतु वर्ष **2016** या उसके बाद की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही अर्ह होंगे। वर्ष 2019 में इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित छात्र भी स्नातक प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु प्रवेश के समय उन्हें योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण करने का **प्रमाण पत्र/अंक पत्र** प्रस्तुत करना होगा।

2. **योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त तीन वर्ष से अधिक अन्तराल की दशा में किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश नहीं होगा। एक वर्ष के अन्तराल पर 5 प्रतिशत एवं दो वर्ष के अन्तराल 7 प्रतिशत तथा तीन वर्ष के अन्तराल पर 10 प्रतिशत की कटौती के उपरान्त प्रवेश लिया जायेगा। सेवारत सैन्य कर्मियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के प्रवेश में यह नियम लागू नहीं होगा।**

3. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अर्हता का विवरणः

पाठ्यक्रम (Course)	योग्यता प्रदायी परीक्षा (इण्टरमीडिएट या समकक्ष 2016 या उसके बाद)				
	Arts	Science (Math)	Science (Bio)	Agriculture	Commerce
B.A.	✓	✓	✓	✓	✓
B.Sc.(Mathematics)	X	✓	X	X	X
B.Sc.(Biology)	X	X	✓	X	X
B.Sc.(Agriculture)	X	✓	✓	✓	X
B.Sc.(Home Science)	X	✓	✓	X	X
B.Com.	✓	✓	✓	✓	✓
B.B.A.	✓	✓	✓	✓	✓
B.C.A.	✓	✓	✓	✓	✓
B.Sc. Nursing (Basic)*	X	X	✓	X	X
B.Sc. (Physiotherapy)	X	✓	✓	X	X
B.Sc. (M.L.T.)	X	✓	✓	X	X
B.A. LL.B. (Hons.) 5Year	✓	✓	✓	✓	✓

*केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए।

नोट :

- **स्नातक कला (बी0ए0)** : इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
- **स्नातक विज्ञान (गणित)** : इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा विज्ञान वर्ग (गणित संवर्ग) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
- **स्नातक विज्ञान (जीवविज्ञान)** : इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा विज्ञान वर्ग (जीवविज्ञान संवर्ग) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
- **स्नातक कृषिः** इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा कृषि वर्ग/विज्ञान वर्ग (गणित अथवा जीव विज्ञान संवर्ग) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
- **स्नातक गृहविज्ञान** : इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा विज्ञान वर्ग (गणित अथवा जीवविज्ञान संवर्ग) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
- **स्नातक वाणिज्य** : इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
- **बी0बी0ए0** : इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
- **बी0सी0ए0** : इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
- **बी0एस–सी0 (नर्सिंग बेसिक)** : इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा जीव विज्ञान संवर्ग से 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी।

प्राचार्य
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी० जी० कालेज, गोरखपुर

- **बी०एस–सी० (फिजियोथिरेपी):** इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा विज्ञान वर्ग (गणित अथवा जीवविज्ञान संवर्ग) में सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य है।
- **बी०एस–सी० (एम०एल०टी०):** इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा विज्ञान वर्ग (गणित एवं अथवा जीवविज्ञान संवर्ग) में सामान्य/अन्यपिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य है।
- **बी०ए०एलएल०बी०(आनर्स) पॉचबर्षीय एकीकृत पाठयक्रमः** इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 01 जुलाई 2019 को 22 वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थी। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 42 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य है।

स्नातक प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम

प्रवेश परीक्षा में कुल **150 प्रश्न पूछे** जायेंगे जिसका स्तर इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष होगा। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए पाठयकम निम्नवत् होगा–

अ. बी०ए० प्रवेश परीक्षा हेतु–

1. भाषा ज्ञान–(हिन्दी : 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी :15 प्रश्न)	30 प्रश्न
2. सामान्य अध्ययन– भारतीय इतिहास, दर्शन एवं संस्कृति	25 प्रश्न
3. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम	15 प्रश्न
4. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था	15 प्रश्न
5. भारतीय सामाजिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था	15 प्रश्न
6. भारतीय अर्थशास्त्र– कृषि, उद्योग व्यापार एवं पंचवर्षीय योजनायें	10 प्रश्न
7. महत्वपूर्ण राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय समकालीन घटनाओं और खेल–कूद पर आधारित	25 प्रश्न
8. भारत देश एवं लोग	15 प्रश्न

ब. बी०एस–सी०(गणित)/ बी०एस–सी०(गृहविज्ञान)/ बी०एस–सी०(एम.एल.टी.) एवं बी०एस–सी०(फीजियोथिरेपी) प्रवेश परीक्षा हेतु–

1. सामान्य वैज्ञानिक अध्ययन	15 प्रश्न
2. गणित	45 प्रश्न
3. भौतिकी	45 प्रश्न
4. रसायनशास्त्र	45 प्रश्न

स. बी०एस–सी०(जीवविज्ञान)/ बी०एस–सी०(गृहविज्ञान)/ बी०एस–सी०(एम.एल.टी.)/ बी०एस–सी०(फीजियोथिरेपी) तथा बी०एस–सी० नर्सिंग(बेसिक) प्रवेश परीक्षा हेतु–

1. सामान्य वैज्ञानिक अध्ययन	15 प्रश्न
2. प्राणिविज्ञान	45 प्रश्न
3. वनस्पति विज्ञान	45 प्रश्न
4. रसायनशास्त्र	45 प्रश्न

द. बी०काम० प्रवेश परीक्षा हेतु–

1. भाषा सम्बन्धी–(अंग्रेजी 15 प्रश्न एवं हिन्दी 15 प्रश्न)	30 प्रश्न
2. सामान्य ज्ञान	15 प्रश्न
3. मानसिक योग्यता	30 प्रश्न
4. वाणिज्य [पुस्तपालन(बुककीपिंग) एवं लेखाकर्म(एकाउन्टेंसी)]	20 प्रश्न
5. व्यावसायिक संगठन	15 प्रश्न
6. अर्थशास्त्र	15 प्रश्न
7. अधिकोषण(बैंकिग)	15 प्रश्न
8. व्यावसायिक भूगोल	10 प्रश्न

च. बी०बी०ए० प्रवेश परीक्षा हेतु

1. सामान्य अंग्रेजी	15 प्रश्न

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज,गोरखपुर

2. सामान्य ज्ञान	30 प्रश्न
3. सामान्य गणित	30 प्रश्न
4. व्यवसाय अध्ययन (इण्टरमीडिएट स्तर– पुस्तपालन लेखाकर्म)	15 प्रश्न
5. व्यवसायिक संगठन	15 प्रश्न
6. प्रारम्भिक अर्थशास्त्र	10 प्रश्न
7. व्यवसायिक वातावरण	15 प्रश्न
8. अधिकोषण	10 प्रश्न
9. सामान्य प्रबन्ध के सिद्धान्त तथा प्रबन्ध के क्रियात्मक क्षेत्र	10 प्रश्न

छ. बी0सी0ए0 प्रवेश परीक्षा हेतु

1. सामान्य अंग्रेजी	20 प्रश्न
2. सामान्य ज्ञान	30 प्रश्न
3. मैथमेटिकल रिजनिंग एवं लॉजिक	25 प्रश्न
4. सामान्य विज्ञान	40 प्रश्न
5. सामान्य गणित (हाई स्कूल स्तर)	35 प्रश्न

ज. बी0एस–सी0(कृषि) प्रवेश परीक्षा हेतु–

1. सामान्य वैज्ञानिक अध्ययन	35 प्रश्न
2. कृषि उपकरण (पादप रोग नियंत्रण)	40 प्रश्न
3. पशुपालन	25 प्रश्न
4. कृषि अर्थव्यवस्था (उर्वरक)	25 प्रश्न
5. कृषि उद्योग (मृदा)	25 प्रश्न

झ. बी0ए0एलएल0बी0(आनर्स) पॉचबर्षीय एकीकृत पाठयक्रम प्रवेश परीक्षा हेतु–

1. भाषा बोध (Language Comprehension)	25 प्रश्न
2. सामान्य जागरूकता एवं सामयिक घटनाएं (General Awareness and Current Affairs)	50 प्रश्न
3. तर्क एवं मानसिक क्षमता (Reasoning and Mental Ability)	25 प्रश्न
4. विधिक अभिरुचि (Legal Aptitude)	50 प्रश्न

अन्य आवश्यक व महत्वपूर्ण निर्देश

1. स्नातक प्रवेश परीक्षा में कुल 150 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का एवं कुल अधिकतम अंक 450 होगा। **विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्रवेश परीक्षा में गलत उत्तर पर किसी अंक की कटौती नहीं होगी।**
2. भाषा को छोड़कर शेष सभी प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे।
3. प्रश्नपुस्तिका के साथ ओ0एम0आर0 **उत्तर पत्र** दिये जायेंगे, जिस पर उत्तर अंकित करना होगा। केवल उत्तर पत्र का ही मूल्यांकन होगा।
4. प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर होंगे, जिनमें सही उत्तर का चुनाव कर **उत्तर पत्र** में उस प्रश्न संख्या के सामने बने विकल्पों के **वृतों** में से आप द्वारा चयनित विकल्प को काले/नीले बालपेन से भरना होगा।

   उदाहरणार्थ–

1. रेखांकित शब्द की शुद्ध बर्तनी चुनिए–		2. Select the word with the correct spelling	
A.सृखंलाओं	○	A. Psichology	○
B.श्रृंखलाओं	●	B. Sychology	○
C.सिरखलाओं	○	C. Psychology	●
D.संख्याओं	○	D. Psychlogy	○

आलोक– उपर्युक्त प्रश्न केवल उदाहरणार्थ है, एवं इसका वास्तविक प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रवेश प्रक्रिया

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कॉलेज,गोरखपुर

1. अभ्यर्थी चयनित प्रत्येक पाठ्यक्रम के आवेदन की हार्ड कापी प्रिन्ट करने के उपरान्त पाठ्यक्रम के अनुसार अलग–अलग संस्थाओं (विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों) का ऑनलाइन विकल्प (च्वाइस फिलिंग) भरेंगे।
2. संस्थाओं के चयन हेतु अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार अधिक से अधिक वरीयता भरें। संस्था (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय) का आवंटन अभ्यर्थी द्वारा दिये गये वरीयता क्रम एवं मेरिट के आधार किया जायेगा।
3. अभ्यर्थी संस्था (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय) का चयन अपनी वरीयता के अनुसार प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् तीन दिनों तक ही कर सकता है। अलग–अलग पाठ्यक्रम के लिये संस्था (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय) की वरीयता का चयन अलग–अलग किया जाना है।
4. प्रवेश परीक्षा में अर्ह पाए गये अभ्यर्थियों का अस्थाई प्रवेश उनके द्वारा चयनित पाठ्यक्रम, प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक तथा अनुमन्य अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) के आधार पर निर्मित सूचकांक एवं श्रेष्ठताक्रम के अनुसार उपलब्ध सीटों पर सुसंगत नियमो के आधार पर होगा।
5. आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रवेश प्रक्रिया निम्नवत् सम्पन्न की जायेगी
    - विश्वविद्यालय परिसर
    - राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालय
    - स्ववित्तपोषित महाविद्यालय
6. पाठ्यक्रम के अनुसार विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में आवंटित छात्र/छात्राओं की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।
7. (क) विश्वविद्यालय परिसर में उपलब्ध स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाइन **काउन्सिलिंग** के माध्यम से होगा जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् है–

(i) विश्वविद्यालय परिसर के लिए चयनित सूची से प्रवेशार्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर **काउन्सिलिंग** हेतु उपस्थित होकर अपने समस्त अभिलेखों का सत्यापन कराएंगे। इसकी सूचना वेबसाइट *www.ddugu.ac.in* पर उपलब्ध होगी।

(ii) अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात् उसका आवंटन उनके द्वारा चयनित संयुक्तियों में से मेरिट के आधार पंर ऑनलाइन कर दिया जायेगा।

विषय संयुक्तियाँ(केवल विश्वविद्यालय केन्द्र के लिए)

स्नातक कला (बी0ए0):

कला संकाय में पढ़ाये जाने वाले समस्त विषयों को तीन समूहों में निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है। प्रत्येक प्रवेशार्थी को तीन विषय लेना है। प्रत्येक समूह से केवल एक विषय लिया जा सकता है।

समूह		
(अ)	(ब)	(स)
मनोविज्ञान	हिन्दी	राजनीतिशास्त्र
भूगोल	पालि	अर्थशास्त्र
रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन	दर्शनशास्त्र	इतिहास
दृश्य कला	प्राचीन इतिहास	उर्दू
मंच कला	अंग्रेजी	संस्कृत
सांख्यिकी	गणित	शिक्षाशास्त्र
गृहविज्ञान		
शारीरिक शिक्षा		
समाजशास्त्र		

नोटः

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी० जी० कालेज,गोरखपुर

1. गृह विज्ञान विषय वे ही अभ्यर्थी ले सकते हैं, जिन्होंने इण्टरमीडिएट में गृह–विज्ञान विषय पढ़ा हो अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण किया हो।
2. भूगोल विषय वे ही अभ्यर्थी ले सकते हैं, जिन्होंने इण्टरमीडिएट में भूगोल पढ़ा हो अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा विज्ञान या कृषि वर्ग से उत्तीर्ण किया हो।
3. सांख्यिकी के साथ गणित लेना अनिवार्य होगा।
4. **प्रत्येक विषय में स्थान निर्धारित है। प्रवेश के उपरान्त विषय परिवतन अनुमन्य नहीं होगा।**

स्नातक विज्ञानः (बी0एस–सी0)

विज्ञान संकाय में पढ़ाये जाने वाली निम्नांकित संयुक्तियाँ स्वीकृत है

गणित समूह में निम्नांकित संयुक्तियाँ स्वीकृत है

- गणित, भौतिकी एवं रसायनशास्त्र
- गणित, भौतिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स
- गणित, भौतिकी एवं सांख्यिकी
- भौतिकी, गणित एवं कम्प्यूटर साइन्स
- गणित, सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर साइंस
- गणित, भौतिकी तथा रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन
- गणित, सांख्यिकी तथा रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन
- भौतिकी, गणित एवं औद्योगिक रसायनशास्त्र
- गणित, रसायनशास्त्र एवं औद्योगिक रसायनशास्त्र

जीवविज्ञान समूह में निम्नांकित संयुक्तियाँ स्वीकृत है

- वनस्पतिशास्त्र, प्राणिविज्ञान एवं रसायनशास्त्र
- वनस्पतिशास्त्र, प्राणिविज्ञान तथा रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन
- वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र एवं औद्योगिक सूक्ष्म जीवविज्ञान
- प्राणि विज्ञान, रसायनशास्त्र एवं औद्योगिक सूक्ष्म जीवविज्ञान
- प्राणि विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र एवं औद्योगिक सूक्ष्म जीवविज्ञान

टिप्पणी :औद्योगिक रसायनशास्त्र एवं औद्योगिक सूक्ष्म जीवविज्ञान बिषय स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित है।

(iii) अभ्यर्थी को अपना निर्धारित शुल्क ऑनलाइन (नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से) निर्धारित समय एवं तिथि (03 दिन अधिकतम)के अन्तर्गत जमा कर प्रवेश को सुनिश्चित कर लेना होगा। निर्धारित तिथि तक शुल्क न जमा करने पर उसकी सीट को रिक्त मानते हुए मेरिट के क्रम में दूसरे अभ्यर्थी को उक्त सीट/संयुक्तियां आवंटित कर दिया जायेगा।

(ख)**राजकीय/अनुदानित महाविद्यालय** की पाठ्यक्रमानुसार सूची के आधार पर (सुसंगत नियमों के अन्तर्गत) प्रवेश सम्पन्न किया जायेगा। निर्गत सूची के आधार पर अभ्यर्थी समस्त मूल प्रमाणपत्रों के साथ सम्बन्धित महाविद्यालय में जाकर प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित तिथि तक पूर्ण करेंगे।

(ग)**स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों** में प्रवेश के लिए निर्गत सूची (पृष्ठ 5 के 4(ख) में वर्णित को छोड़कर) के आधार पर प्रवेश सम्पन्न किया जायेगा। निर्गत सूची के आधार पर अभ्यर्थी समस्त मूल प्रमाणपत्रों के साथ आवंटित महाविद्यालय में जाकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

8. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को प्रवेश समिति के समक्ष समस्त मूल प्रमाण पत्रों (अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अधिप्रतिनिधित्व प्रमाण–पत्र, दिव्यांगता/भूतपूर्व सैनिक/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज,गोरखपुर

आश्रित/कश्मीर विस्थापित/कारगिल शहीद, दिव्यांग प्रमाण–पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र/अन्तिम संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र आदि) एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित एवं सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा। जो अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य बोर्ड/संस्थाओं से उत्तीर्ण हैं (यथा–सी.बी.एस.ई.,आई.सी.एस.ई. तथा अन्य बोर्ड) उन्हें **प्रव्रजन** प्रमाण पत्र भी लाना होगा।

9. चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक शुल्क जमा करके सम्बन्धित संकाय कार्यालय/महाविद्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

10. आवेदन पत्र पर पूर्व में अंकित किसी भी संवर्ग (*Category*), उपवर्ग (*Sub-category*) या भारांक (*Weightage*) का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रवेश के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपयुक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर पाने की दशा में सम्बन्धित लाभ देय नहीं होगा एवं श्रेष्ठताक्रम तदनुसार परिवर्तित कर दिया जायेगा।

11. अभ्यर्थी को इस आशय की घोषणा करनी होगी कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक वाद नहीं है तथा भविष्य में अगर कोई एफ.आई.आर. दर्ज होगा तो उसका प्रवेश निरस्त समझा जायेगा।

12. विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है।

13. **प्रवेश के समय प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा, एतदर्थ प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें।**

14. विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की तिथियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी।

15. प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी समस्त प्रपत्र/अभिलेख प्रवेष परीक्षा समाप्त होने की तिथि से केवल छः माह तक ही सुरक्षित रखा जायेगा।

16. जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2019 से पूर्व योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें उपर्युक्त **अन्तराल के स्पष्टीकरण हेतु नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र** प्रवेश हेतु **काउन्सिलिंग** के समय प्रस्तुत करना होगा।

17. कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नियमित छात्र उस तिथि से माना जायेगा जिस दिन उसने प्रवेश शुल्क जमाकर सम्बन्धित विभाग में पंजीकरण करा लिया हो।

18. प्रवेश सम्बन्धी निर्देश विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम, अध्यादेषों तथा नियमों के अनुसार है। प्रवेश समिति किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश बिना कारण बताये हुए निरस्त कर सकती है।

19. प्रवेश के सम्बन्ध में यदि कोई अन्यथा स्थिति उपन्न होती है तो प्रवेश समिति के निर्णयानुसार तत्समय कार्रवाई की जायेगी।

20. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हो जाने पर अथवा असफल रह जाने या रोक लिये जानेपर किसी छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की उस कक्षा में दुबारा प्रवेश नहीं मिल सकेगा। परीक्षा में सम्मिलित/असफल छात्रों को भूतपूर्व छात्र होने की सुविधा उपलब्ध है।

21. विश्वविद्यालय की किसी भी कक्षा में किसी महाविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय से स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश नहीं होगा।

XXXXXXXXXXX

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज,गोरखपुर

तालिका – 5

1. महाविद्यालय की छात्र संख्या

क्र.सं.	वर्ष	छात्र	छात्रा	योग
1.	31.03.2017	1006	1670	2676
2.	31.03.2018	999	1721	2720
3.	31.03.2019	1406	1953	3359

2. (क) संकायवार छात्र/छात्रा संख्या – स्नातक स्तर

क्र. सं.	संकाय	प्रथम वर्ष			द्वितीय वर्ष			तृतीय वर्ष		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1.	कला संकाय	376	322	698	175	245	420	149	220	369
2.	विज्ञान संकाय (बॉयो)	37	101	138	06	40	46	07	42	49
3.	विज्ञान संकाय (गणित) स्ववित्तपोषित	110	87	197	44	66	110	26	45	71
4.	बी0 एड0	34	07	41	28	12	40			
5.	बी0 काम0 (स्ववित्तपोषित)	122	117	239	72	131	203	75	146	221

(ख) संकायवार छात्र/छात्रा संख्या – स्नातकोत्तर स्तर

क्र. सं.	कला संकाय	पूर्वार्द्ध			उत्तरार्द्ध		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1.	प्रा0 इतिहास	05	27	32	12	17	~~64~~ 29
2	हिन्दी (स्ववित्तपोषित)	11	34	45	08	37	45
3	भूगोल (स्ववित्तपोषित)	31	28	59	10	24	34
4	शिक्षाशास्त्र (स्ववित्तपोषित)	–	39	39	–	–	–
5	समाजशास्त्र (स्ववित्तपोषित)	16	50	66	–	–	–
6	राजनीतिशास्त्र (स्ववित्तपोषित)	27	41	68	–	–	–
7	रक्षाअध्ययन (स्ववित्तपोषित)	–	–	–	–	–	–
8	एम.काम. (स्ववित्तपोषित)	22	58	80	–	–	–
9	रसायन विज्ञान (स्ववित्तपोषित)	03	17	20	–	–	–

(ग) पी एच0 डी0 छात्र–02 छात्रा–0 योग– 02

3. विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य कक्षावार एवं विषयवार छात्र संख्या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अनुमन्य आदेश की प्रति संलग्न।

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं अन्य अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं की संख्या 31.3.2018

क्र.सं.	वर्ग	छात्र	छात्रा	योग
1.	अनुसूचित जाति	133	215	348
2.	अनुसूचित जनजाति	07	02	09
3.	पिछड़ा वर्ग	684	902	1586
4.	विकलांग	–	–	–

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी0 जी0 कालेज, गोरखपुर

2018-19

(ख) अल्पसंख्यक वर्ग

	प्रथम	द्वितीय	तृतीय वर्ष	योग
बी.ए.	15	6	4	25
बी.एससी.	3	1	2	6
बी.काम.	—	2	—	2
बी.एड.	—	—		—
एम.ए. प्राचीन इतिहास	1	—		1
एम.ए. हिन्दी	1	4		5
एम.ए. भूगोल	2	2		4
एम.ए. समाजशास्त्र	2	—		2
एम.ए. शिक्षाशास्त्र	1	—		1
एम.ए. राजनीतिशास्त्र	—	—		—
एम.एससी. रसायन विज्ञान	1	—		1
एम.काम.	1			1
योग	27	15	6	48

प्राचार्य
प्राचार्य
दिग्विजयनाथ पी०जी० कालेज
गोरखपुर

मंत्री
मंत्री
दिग्विजयनाथ पी० जी० कालेज
गोरखपुर

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज, गोरखपुर

2017-18

तालिका – 5

1. महाविद्यालय की छात्र संख्या

क्र.सं.	वर्ष	छात्र	छात्रा	योग
1.	31.03.2016	1149	1580	2729
2.	31.03.2017	1006	1670	2676
3.	31.03.2018	999	1721	2720

2. (क) संकायवार छात्र/छात्रा संख्या – स्नातक स्तर

क्र. सं.	संकाय	प्रथम वर्ष			द्वितीय वर्ष			तृतीय वर्ष		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1.	कला संकाय	226	306	532	162	230	392	115	195	310
2.	विज्ञान संकाय (बॉयो)	10	68	78	07	46	53	05	17	22
3.	विज्ञान संकाय (गणित) स्ववित्तपोषित	55	117	172	31	50	81	20	44	64
4.	बी0 एड0	30	13	43	29	10	39	—	—	—
5.	बी0 काम0 (स्ववित्तपोषित)	73	140	213	72	144	216	85	129	214

(ख) संकायवार छात्र/छात्रा संख्या – स्नातकोत्तर स्तर

क्र. सं.	कला संकाय	पूर्वार्द्ध			उत्तरार्द्ध		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1.	प्रा0 इतिहास	13	16	29	18	46	64
2	हिन्दी (स्ववित्तपोषित)	09	40	49	05	54	59
3	भूगोल (स्ववित्तपोषित)	15	20	35	19	36	55

(ग) पी एच0 डी0 छात्र–02 छात्रा–00 योग– 02

3. विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य कक्षावार एवं विषयवार छात्र संख्या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अनुमन्य आदेश की प्रति संलग्न।

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं अन्य अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं की संख्या 31.3.2018

क्र.सं.	वर्ग	छात्र	छात्रा	योग
1.	अनुसूचित जाति	98	190	288
2.	अनुसूचित जनजाति	01	10	11
3.	पिछड़ा वर्ग	469	634	1103
4.	विकलांग	01	01	02

(ख) अल्पसंख्यक वर्ग

	प्रथम	द्वितीय	तृतीय वर्ष	योग
बी.ए.	09	05	03	17
बी.एससी.	02	02	01	05
बी.काम.	02	—	04	06
बी.एड.	—	02		02
एम.ए. प्राचीन इतिहास	—	02		04
एम.ए. हिन्दी	04	—		04
एम.ए. भूगोल	02	02		04

प्राचार्य
प्राचार्य
दिग्विजयनाथ पी०जी० कालेज
गोरखपुर

मंत्री
मंत्री
दिग्विजयनाथ पी० जी० कालेज
गोरखपुर

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज, गोरखपुर

2016-17

तालिका – 5

1. महाविद्यालय की छात्र संख्या

क्र.सं.	वर्ष	छात्र	छात्रा	योग
1.	31.3.2015	1392	1578	2970
2.	31.3.2016	1149	1580	2729
3.	31.03.2017	1006	1670	2676

2. (क) संकायवार छात्र/छात्रा संख्या – स्नातक स्तर

क्र. सं.	संकाय	प्रथम वर्ष			द्वितीय वर्ष			तृतीय वर्ष		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1.	कला संकाय	232	275	507	118	193	311	100	169	269
2.	विज्ञान संकाय (बॉयो)	010	079	089	005	018	023	008	023	031
3.	विज्ञान संकाय (गणित) स्ववित्तपोषित	059	108	167	019	044	063	031	028	059
4.	बी० एड०	038	010	048	011	033	044	—	—	—
5.	बी० काम० (स्ववित्तपोषित)	079	155	234	84	134	218	089	093	182

(ख) संकायवार छात्र/छात्रा संख्या – स्नातकोत्तर स्तर

क्र. सं.	कला संकाय	पूर्वार्द्ध			उत्तरार्द्ध		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1.	प्रा० इतिहास	22	47	69	29	43	72
2	हिन्दी (स्ववित्तपोषित)	05	55	60	19	68	87
3	भूगोल (स्ववित्तपोषित)	18	55	73	29	38	67

(ग) पी एच० डी० छात्र–00 छात्रा–01 योग– 01

3. विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य कक्षावार एवं विषयवार छात्र संख्या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अनुमन्य आदेश की प्रति संलग्न।

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं अन्य अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं की संख्या 31.3.2017

क्र.सं.	वर्ग	छात्र	छात्रा	योग
1.	अनुसूचित जाति	86	126	215
2.	अनुसूचित जनजाति		03	03
3.	पिछड़ा वर्ग	275	439	714
4.	विकलांग	—	—	—

(ख) अल्पसंख्यक वर्ग

बी०ए० – I	बी०ए० – II	बी०ए० – III	बी०एस०सी०– I	बी०एस०सी०– II	बी०एस०सी०– III	बी०एड०	एम०ए०
09	02	07	03	—	01	03	05

प्राचार्य
प्राचार्य
दिग्विजयनाथ पी० जी० कालेज
गोरखपुर

मंत्री
दिग्विजयनाथ मंत्री पी० जी० कालेज
गोरखपुर

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज, गोरखपुर

तालिका – 5

2015-16

1. महाविद्यालय की छात्र संख्या

क्र.सं.	वर्ष	छात्र	छात्रा	योग
1.	31.3.2014	1812	1725	3537
2.	31.3.2015	1392	1578	2970
3.	31.3.2016	1149	1580	2729

2. (क) संकायवार छात्र/छात्रा संख्या – स्नातक स्तर

क्र.सं.	संकाय	प्रथम वर्ष			द्वितीय वर्ष			तृतीय वर्ष		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1.	कला संकाय	157	215	372	105	174	279	244	337	581
2.	विज्ञान संकाय	62	123	185	47	45	92	57	65	122
3.	बी0 एड0	11	34	45	—	—	—	—	—	—
4.	बी0 काम0 (स्ववित्तपोषित)	107	130	237	91	94	185	133	81	214

(ख) संकायवार छात्र/छात्रा संख्या – स्नातकोत्तर स्तर

क्र.सं.	कला संकाय	पूर्वार्द्ध			उत्तरार्द्ध		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1.	प्रा0 इतिहास	29	49	78	12	25	37
2	हिन्दी (स्ववित्तपोषित)	26	75	101	11	59	70
3	भूगोल (स्ववित्तपोषित)	36	43	79	21	31	52

(ग) पी एच0 डी0 छात्र–02 छात्रा–05 योग– 07

2015-16

3. विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य कक्षावार एवं विषयवार छात्र संख्या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अनुमन्य आदेश की प्रति संलग्न।

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं अन्य अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं की संख्या 31.3.2016

क्र.सं.	वर्ग	छात्र	छात्रा	योग
1.	अनुसूचित जाति	163	189	352
2.	अनुसूचित जनजाति	03	07	10
3.	पिछड़ा वर्ग	546	692	1238
4.	विकलांग	01	01	02

(ख) अल्पसंख्यक वर्ग

बी0ए0 – I	बी0ए0 – II	बी0ए0 – III	बी0एस0सी0–I	बी0एस0सी0–II	बी0एस0सी0–III	बी0एड0	एम0ए0
09	—	—	02	—	—	—	05

प्राचार्य
दिग्विजयनाथ पी० जी० कालेज
गोरखपुर

मंत्री
दिग्विजयनाथ पी० जी० कालेज
गोरखपुर

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज, गोरखपुर